राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी–राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 03/2017 पंजीयन दिनांक :– 06.03.2017

निर्णय दिनांक :– 26.03.2018

1. श्रीमति मीनाक्षी देवी, सरपंच ग्राम पंचायत गेड तहसील बिछीवाडा जिला–डूंगरपुर (राज.)
2. श्री डायालाल डामोर सचिव ग्राम पंचायत गेड तहसील बिछीवाडा जिला–डूंगरपुर (राज.)

अपीलान्टगण.....

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार–बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्री दीपक जैन जे.टी.ए. (स्थानान्तरण पंचायत समिति, सागवाडा)

रेस्पोडेन्टगण.....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बनाराजगी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा प्रकरण संख्या 01/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 बाबत्

उपस्थितः– 1. श्री अमृतलाल पंचाल, एडवोकेट – अपीलान्ट्स की ओर से
2. श्री पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट्स – संख्या 1 की ओर से
3. श्री बी.एल. पण्ड्या एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 की ओर से

–:निर्णयः–

अपीलान्ट्स द्वारा अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धरा 75 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा के प्रकरण संख्या 01/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पालीसोडा द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई हैं कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा ग्राम पालीसोडा के खसरा नम्बर 288 कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म नाला में से रकबा 02 बिस्वा पर अतिक्रमण कर परकोटा बनाया है, जिससे कार्यवाही की जावे। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार बिछीवाडा ने प्रकरण संख्या 01/2016 दर्ज कर अतिक्रमियों को नोटिसेज जारी किये गये। अतिक्रमियों द्वारा एडवोकेट नियुक्त किया एवं जबाव प्रस्तुत किया। बाद सुनवाई अतिक्रमियों के अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा द्वारा रिपोर्ट पटवारी को स्वीकार करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 में प्रदत्त शक्तियो के क्रम में ग्राम पालीसोडा की आराजी संख्या 288 किस्म नदीया एवं नाले के रकबा 02 बिस्वा में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया अतिक्रमण

पक्का परकोटा को विध्वंश करने तथा रूपया 50/– पेनाल्टी आरोपित करने का आदेश पारित किया गया।

अपीलान्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपने एडवोकेट के मार्फत अपील प्रस्तुत की गई है। अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 की ओर से एडवोकेट नियुक्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्षो के उपस्थित एडवोकेट्स एवं पेरोकार सरकार की बहस समायत की गई। अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित योग्य एडवोकेट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्का परकोटा विध्वंश करने एवं पेनाल्टी रूपया 50/– वसुलने का आदेश पारित करने में भारी भूल की है। ग्राम पंचायत द्वारा आराजी संख्या 288 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा किस्म बिलानाम नाला में 02 बिस्वा भूमि पर 25 गठ्ठा लम्बी एवं 4 फीट उंची दीवार नहीं बनाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा 228 के दक्षीण कोने से खसरा नम्बर 227 के उत्तर कोने तक काश्तकारों की कृषि भूमि के कटाव की रोकथाम हेतु रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया है। योग्य एडवोकेट का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर 228 व 227 में जो निर्माण किया गया है वह नियमानुसार किया गया है। नियमानुसार स्वीकृत कार्य के अलावा खसरा नम्बर 228 में ग्राम पंचायत द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का श्रम व सामग्री का भूगतान नहीं किया है।

अपीलान्ट्स के योग्य एडवोकेट का यह भी कथन रहा है कि मौका पर्चा एवं जांच रिपोर्ट में अन्तर आने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसका उचित अवलोकन नहीं कर अपीलान्ट के विरूद्व प्रकरण निर्णित करने में भारी भूल की है। आगे यह भी कथन रहा है कि खातेदार हिरा, अडेला, लाली, रतनी पिता पुनीया मीणा वगैरा की भूमि 12 बीघा 17 बिस्वा स्थित होकर खातेदार ने मिट्टी के कटाव को रोकने अपने खर्चे पर बनवाया होकर पानी के बहाव का रास्ता रोक अपनी खातेदारी भूमि को सुरक्षित किया है तथा उक्त परकोटा नदी में नहीं बनाया होकर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। शिकायत मात्र राजनैतिक कारणों से की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 की ओर से उपस्थित एडवोकेट ने भी अपीलान्ट्स एडवोकेट के तर्कों का ही समर्थन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का स्थानान्तरण वर्तमान में पंचायत समिति सागवाडा मे हो गया है जिससे अपीलान्ट्स द्वारा इसे रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के रूप में संयोजित करना जाहीर किया।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को सही एवं विधि अनुकूल होना जाहीर किया है। पेरोकार सरकार का कथन है कि पटवारी हल्का पालीसोडा की रिपोर्ट एवं खसरा परिवर्तित निर्धारण

पी–14 के अनुसार अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा ग्राम पालीसोडा के खसरा नम्बर 288 कुल रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा किस्म भूमि नदी–नाला में से 02 बिस्वा में परकोटा बना अतिक्रमण करना बताया गया है। पेरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट्स, नकल जमाबंदी, पर्चा मौका एवं नजरी नक्शा के अवलोकन से मौजा पालीसोडा की आराजी नम्बर 288 किस्म नदी–नाला में पुरानी दीवार के अतिरिक्त नवीन रींगवाल बना अतिक्रमण करना पाया जाता है। रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक दिनांक 25.10.2016 के अनुसार भी ग्राम पालीसोडा की आराजी संख्या 288 नाला में रींगवाल ग्राम पंचायत द्वारा बनाना जाहीर किया है। पेरोकार सरकार का आगे यह भी कथन है कि नदी–नाले की भूमि में निर्माण कार्य कर प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग को बाधित करना अब्दूल रहमान के प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्व हैं तथा इससे सामने स्थित अन्य कृषकों की भूमि में ही मिट्टी का कटाव होगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावे।

उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर मनन करते हुए अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्योपरांत अवलोकन किया। रिपोर्ट्स, पर्चा मौका पटवारी/भू.अ. निरीक्षक के अनुसार अपीलान्ट्स ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पालीसोडा की आराजी नम्बर 288 कुल रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा में से 02 बिस्वा कुला 25 गठ्ठा लम्बाई एवं 4 फीट उंचाई में पक्का परकोटा/रींगवाल बनाया जाना प्रमाणित है। प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट्स पटवारी/भू.अ. निरीक्षक दिनांक 08.04.2016, 21.04.2016 एवं नजरी नक्शा दिनांक 21.04.2016, नकल जमाबंदी तथा रिपोर्ट पर्चा मौका दिनांक 25.10.2016 के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा द्वारा पारित आदेश/निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती हैं कि इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जावें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दूल रहमान वगैरा में पारित निर्णय अनुसार भी नदी–नाला के प्राकृतिक जल बहाव मार्ग के अवरोधों को हटाया जाकर वर्ष 1955 के पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिछीवाडा के प्रकरण संख्या 01/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर